(102)

संख्याः–858/XIV-1/12–5(10)/2012

प्रेषक,

डॉ0 पी0एस0गुसाईं,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून, दिनॉक 7 मई, 2012

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये लेखानुदानावधि में सहकारिता विभाग की आयोजनागत पक्ष में जिला योजना (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्र संख्याः–82/नियो0/जिला योजना/2012–13 दिनांक 09 अप्रैल, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में लेखानुदानावधि में दि0 1 अप्रैल, 2012 से 31 जुलाई, 2012 तक चार माह के लिए सहकारिता विभाग के अर्न्तगत आयोजनागत पक्ष में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जिला योजना (टी0एस0पी0) हेतु **कुल ₹ 5,02,000/–(रूपये पांच लाख दो हजार मात्र)** की निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय।

(2) सभी कार्यक्रमों की वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण धनराशि के आहरण पूर्व तत्काल किया जाय तथा उक्त निर्धारित लक्ष्यों को वित्त, नियोजन विभाग को भी अवगत कराया जाय।

(3) उक्त धनराशि ऐसे किसी मद/कार्य पर धनराशि व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नही है, यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(4) उक्त धनराशि का योजनावार व्यय प्रत्येक माह या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग एवं शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(5) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण सहित शासन/महालेखाकार उत्तराखण्ड को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाय।

(7) समितियों को अनुदान/राज सहायता/अंशदान दिये जाने से पूर्व सम्बन्धित नियमों, मानकों/शासनादेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

(8) सम्बन्धित जिलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उक्त धनराशि के कोषागार से आहरण के पूर्व विभागाध्यक्ष तथा शासन को विगत वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए।

2–उक्त धनराशि को व्यय किए जाने के पूर्व वित्त विभाग के द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 :– 193/XXVII (1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 की समस्त शर्तो का अनुपालन किया जाएगा और यह शासनादेश वित्त विभाग के उक्त शासनादेश में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिहित किए गए अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

3–उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के **अनुदान संख्या–31** के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–आयोजनागत–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना, 04–अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अंश कय हेतु अनुदान–06–सहकारी कय–विकय योजनान्तर्गत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता, तथा लेखाशीर्षक **6425**– सहकारिता के लिए कर्ज–आयोजनागत, **796**–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 30–निवेश ऋण के अन्तर्गत संलग्नक की ग,घ,ड़ एवं छ की पंक्तियों में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0पी0एस0गुसाईं)
सचिव।

संख्याः–858(1)/XIV–1/2012,तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री सहकारिता, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त गढ़वाल,/कमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
5. उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड,अल्मोडा।
6. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला सहायक निबन्धक, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
9. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
10. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
उपसचिव

वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिला योजना (टी0एस0पी0) हेतु लेखानुदान से उपलब्ध बजट के सापेक्ष जनपदों को लेखाशीर्षकवार धनराशियों के आवंटन का विवरणः–

(धनराशि लाख रू0 में)

| | | योजना का नाम | | | | योजना | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कम सं0 | जनपद का नाम | 2425–सहकारिता –आयोजनागत 796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना 03–जनजाति उपक्षेत्र योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों को अनुदान 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | 04–अनु0 जनजाति के सदस्यों को अंश कय हेतु अनुदान, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता | 06–सह0 कय–विकय योजनांतर्गत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता | योग | 6425– सह0 के लिए कर्ज–आयोजनागत, 796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना, 03–सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना हेतु अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ब्याज रहित ऋण, 30–निवेश/ऋण | योग | महायोग |
| क | ख | ग | घ | ड़ | च | छ | ज | झ |
| 1. | नैनीताल | 0.39 | 0.01 | 0.00 | **0.400** | 0.01 | **0.010** | **0.410** |
| 2. | ऊ0सि0 नगर | 1.15 | 0.00 | 0.00 | **1.150** | 0.00 | **0.000** | **1.150** |
| 3. | अल्मोड़ा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.000** | 0.00 | **0.000** | **0.000** |
| 4. | बागेश्वर | 0.18 | 0.00 | 0.00 | **0.180** | 0.00 | **0.000** | **0.180** |
| 5. | पिथौरागढ़ | 0.13 | 0.00 | 0.00 | **0.130** | 0.00 | **0.000** | **0.130** |
| 6. | चम्पावत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.000** | 0.00 | **0.000** | **0.000** |
| 7. | देहरादून | 1.31 | 0.00 | 1.67 | **2.980** | 0.00 | **0.000** | **2.980** |
| 8. | हरिद्वार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.000** | 0.00 | **0.000** | **0.000** |
| 9. | पौड़ी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.000** | 0.00 | **0.000** | **0.000** |
| 10. | टिहरी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.000** | 0.00 | **0.000** | **0.000** |
| 11. | चमोली | 0.16 | 0.00 | 0.00 | **0.160** | 0.00 | **0.000** | **0.160** |
| 12. | रूद्रप्रयाग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.000** | 0.00 | **0.000** | **0.000** |
| 13. | उ0काशी | 0.01 | 0.00 | 0.00 | **0.010** | 0.00 | **0.000** | **0.010** |
| 14. | योग | **3.330** | **0.010** | **1.670** | **5.010** | 0.010 | **0.010** | **5.020** |

(डॉ पी0एस0गुसाई)
सचिव